महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 673 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2006 दिनांक : 18 / 04 / 2006

प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील में ऐसे प्रकरण प्रकट हो रहे हैं जिनमें किसी लोक सेवक की चल–अचल सम्पत्तियों से संबंधित जानकारी, नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय के अंतर्गत मांगी जा रही है। ऐसे लोक सेवकों की श्रेणी में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी तो हैं ही इसके साथ विभिन्न उपक्रमों यथानिगमों, कम्पनियों एवं परिषदों में कार्यरत अध्यक्ष / प्रबन्धक निदेशक / निदेशक के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित अथवा नियुक्त लोक सेवक भी हैं।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 व 9 से आबद्ध सूचनओं को छोड़कर सभी प्रकार की निवेदित सूचनायें आवेदनकर्ता को नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। इसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा –11 के उपबंधों के अधीन तीसरे पक्ष से संबन्धित सूचनायें भी उस पक्ष की आपत्ति / अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत भी व्यापक लोकहित में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

3. किसी लोक सेवक एवं उसके पारिववारिक सदस्यों द्वारा धारित चल / अचल सम्पत्तियों का विवरण लोक सेवक के प्रशासनिक विभाग में अभिरक्षित रहता है एवं सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अंतर्गत लोक सेवक की अपेक्षा की जाती है कि वह एक निश्चित अवधि उपरान्त उसके द्वारा धारित चल / अचल सम्पत्तियों का विवरण बराबर अपने विभागध्यक्ष को उपलब्ध करायें।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरांत यह आवश्यक हो गया है कि किसी लोक सेवक की निजी सम्पत्तियों से संबन्धित सूचना व्यापक लोकहित में प्रकटन किया जाये अथवा नहीं के संबंध में शासन स्तर पर सुस्पष्ट नीति निर्धारित की जाये। वर्तमान में इस संबंध में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण ऐसी सूचनाओं का लोकहित में प्रकटन के संबंध में सूचना अधिकारी स्तर पर भ्रम एवं असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं। शासन स्तर पर इस बिन्दु पर विधिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि शासन स्तर से इस संबंध से ही ऐसी सूचना के लोकहित में प्रकट करने अथवा प्रकट न करने के संबंध में अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत निर्णय लिया जा सके।

5. कृपया उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा लिए गये अभिमत को भी अवगत कराने का कष्ट करें ताकि अपील के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित नीति का भी प्रसंज्ञान में लिया जा सके।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त